माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय

(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)

MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM AND COMMUNICATION

(Setup by Act No.15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्रमांक /1693/अका. /2017 भोपाल, दिनांक 22.06.2017

अंतिम चेतावनी पत्र

प्रति,

समस्त संबंद्व अध्ययन संस्थाएँ
मा.च.रा.प. एवं संचार विश्वविद्यालय

विषयः AISHE(MHRD) सर्वे वर्ष 2016–2017 की जानकारी प्रस्तुत नहीं करने पर मान्यता संबद्वता समाप्ति की कार्रवाई।

सन्दर्भः (1) अतिरिक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र डी ओ नं. 10–17/2016 State 08.12.2016

(2) पत्र क्रमांक/623/रूसा/2016 भोपाल, दिनांक 20.12.2016।

(3) विश्वविद्यालय के पत्र पृ0क्र0 अका./2017/**AISHE**/2191 भोपाल, दिनांक 02.02.2017

(4) विश्वविद्यालय का पत्र दिनांक 08.03.2017 एवं ई–मेल दिनांक 25.03.2017।

(5) विश्वविद्यालय द्वारा जारी पत्र क्रमांक/499/अका./2017 भोपाल, दिनांक 30.03.2017।

(6) विश्वविद्यालय द्वारा जारी पत्र क्रमांक/999/अका./2017 भोपाल, दिनांक 11.04.2017।

(7) पत्र क्रमांक/ 501/रूसा/2017 भोपाल, दिनांक 09/06.2017।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित विभिन्न पत्रों एवं चेतावनी पत्रों के द्वारा समय–समय पर AISHE(MHRD) सर्वे 2016–2017 की जानकारी भारत सरकार के पोर्टल पर दर्ज (अपलोड) करने हेतु बार–बार सूचित और अगाह किया गया था। जिसके उपरांत भी पोर्टल पर पंजीकृत लगभग 150 संबंद्व अध्ययन संस्थाओं एवं पोर्टल पर अभी तक पंजीयन नहीं कराने वाली संबंद्व अध्ययन संस्थाओं द्वारा अनिवार्य जानकारी दर्ज नहीं की गई है। यह जानबूझकर की गई लापरवाही प्रतीत होती है भारत सरकार ने इस संबंध में अप्रसन्नता व्यक्त की है, जो कि अत्यन्त खेदजनक है।

अतः भारत सरकार के पोर्टल http://aishe.nic.in/aishe/home पर जानकारी दर्ज नहीं करने वाली पंजीकृत एवं अभी तक अपंजीकृत समस्त संस्था संचालकों को अंतिम बार चेतावनी दी जाती है कि वे अपनी संस्था से संबंधित जानकारी प्रक्रिया अनुसार AISHE पोर्टल पर अंतिम समय–सीमा (30.06.2017) तक अनिवार्य रूप से दर्ज (अपलोड) करें। अन्यथा_उनकी संबंद्वता समाप्त करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से **No Admission Category** में अंकित कर दिया जाएगा।

उक्त संबंध में सहायता के लिए विश्वविद्यालय के नोडल अधिकारी श्री दीपक चौकसे (0755–2579338) एवं श्री ज्ञानेश्वर ढोके (0755–2572538) से सम्पर्क किया जा सकता है।

(दीपक शर्मा)
कुलसचिव एवं
निदेशक, संबंद्व अध्ययन संस्थाएँ

बी–38, विकास भवन, प्रेस कॉम्प्लेक्स,एम.पी. नगर, जोन–1, भोपाल (म.प्र.) 462011, **फोन** (0755)2553523 **फैक्सः** (0755) 2551641
B-38, Vikas Bhawan, Press Complex, M.P. Nagar, Zone-1, Bhopal (M.P.) 462011, **Phone-** (0755) 2553523 **Fax-** 07552551641
Website; wwwmcu.ac.in

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM AND COMMUNICATION
(Setup by Act No.15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्रमांक/1694/अका./2017 भोपाल, दिनांक 22.06.2017

प्रतिलिपिः

1. निज सचिव कुलपति, निज सहायक कुलाधिसचिव/कुलसचिव को सूचनार्थ।
2. निदेशक संबंद्व अध्ययन संस्थान की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री अमिय पहारे, स्टेट नोडल अधिकारी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. वेब साइट प्रभारी वेब साइट पर पत्र प्रसारित करने हेतु।
5. आदेश पुस्तिका

(दीपक शर्मा)
कुलसचिव एवं
निदेशक, संबंद्व अध्ययन संस्थाएं

बी–38, विकास भवन, प्रेस कॉम्प्लेक्स,एम.पी. नगर, जोन–1, भोपाल (म.प्र.) 462011, **फोन** (0755)2553523 **फैक्सः** (0755) 2551641
B-38, Vikas Bhawan, Press Complex, M.P. Nagar, Zone-1, Bhopal (M.P.) 462011, **Phone-** (0755) 2553523 Fax-07552551641
Website; wwwmcu.ac.in